

अपसर दिया गया। पत्रावली नाला
प्रतिवादी दि. 24.7.24 को पेश होवे।

SDO

26.7.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।
वकील प्रतिवादी ने प्रार्थनापत्र अलगगत आई न
नियम 11(घ) जा. की प्रस्तुत किया। अलग
वकील वादी को दिखाई गई। पत्रावली वास्तु
जकार प्रार्थनापत्र दि. 7.8.24 को पेश
होवे।

SDO

07.08.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार
उपस्थित। वकील वादी प्रकरण में
न्यायालय की जब तक की कार्यवाही
में संतुष्ट हैं एवं आगे कार्यवाही नहीं
चाहते हैं। वकील वादी ने नोट
प्रेस करने का निवेदन किया। वकील
वादी द्वारा नोट-प्रेस करने के
आधार पर प्रकरण खारिज किया
जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार
होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Not Press